UPBJ010017982021

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नम्बर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– श्री हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP02408
प्रकीर्ण सिविल वाद संख्याः– 72/2021

इकरामुददीन आदि बनाम मौ0 जकी आदि

03–11–2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र क–29 नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र क–29 पर सुना।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र क–29 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रकीर्ण वाद में प्रतिपक्षीगण सं0 1 ता 7 जो कि औपचारिक पक्षकार हैं वह नाबालिगान है और प्रतिपक्षी सं0 3 उनकी सगी माता प्रकृतिक वलिया है और उन्मान प्रकीर्ण वाद में प्रतिपक्षी सं0 4 ता 7 के आगे ''द्वारा प्राकृतिक वलिया माता हकीकी शाईस्ता'' टंकण की त्रुटि से लिखने से रह गया है जिसके कारण प्रकीर्ण वाद में संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त कथनों के साथ प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधन कराये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र ग–30 इकरामुद्दीन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध उत्तरदातागण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क–29 में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रतिपक्षीगण सं0 1 ता 7 जो कि औपचारिक पक्षकार हैं वह नाबालिगान है और प्रतिपक्षी सं0 3 उनकी सगी माता प्रकृतिक वलिया है और उन्मान प्रकीर्ण वाद में प्रतिपक्षी सं0 4 ता 7 के आगे ''द्वारा प्राकृतिक वलिया माता हकीकी शाईस्ता'' लिखा जाकर संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदातागण की ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई लिखित आपत्ति नहीं की गयी है। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र क–29 के माध्यम से जो संशोधन चाहा गया है, उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है। उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2023.11.03 10:33:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतः न्यायहित में वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र क–29 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र क–29 स्वीकार किया जाता है। संशोधन प्रार्थना पत्र क–29 के द्वारा चाहा गया आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 23–11–2023 को पेश हो।

(हनी गोयल)

दिनांकः 03–11–2023

अपर जिला जज, कोर्ट नं0–3,
बिजनौर।
J.O. Code- U.P.-02408